कार्यालय संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)

Email-mpbamboomission@mp.gov.in, Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, Fax-0755-2555523)

क्रमांक / बांसमिशन / 2021 /571 भोपाल, दिनांक : 31/03/2021

प्रति,

1. **मुख्य वनसंरक्षक (समस्त),**
   क्षेत्रीय, वनवृत्त मध्यप्रदेश।
2. **वनमंडलाधिकारी (समस्त)**
   क्षेत्रीय, वनमंडल मध्यप्रदेश।

विषयः–राज्य बांस मिशन की कृषि क्षेत्र में बांस रोपण योजना वर्ष 2021–22 के अंतर्गत अनुदान वितरण बाबत।

—00—

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा संचालित **"कृषि क्षेत्र में बांस वृक्षारोपण 2021–22"** योजना हेतु समन्वित आदेश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते है–

राज्य बांस मिशन द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा निजी भूमि पर बांस रोपण किया जाता है। इस योजना में रोपित बांस के पौधों के लिये 3 वर्षों में कुल रू. 120.00 प्रति पौधा अनुदान के रूप में संबंधित कृषक को दिये जाता है। राष्ट्रीय बांस मिशन के पत्र क्र. F.No.9-1/2021-NBM (94812) दिनांक 26.03.2021 द्वारा पौध रोपण योजना में सब्सिडी की वर्तमान दर को जून 2021 तक यथावत रखने का निर्णय लिया है। योजना का विवरण निम्नानुसार है–

1. **अनुदान का वितरणः–** योजना में कृषकों को बांस रोपण की कुल लागत (रू. 240 प्रति पौधा) की 50% राशि अनुदान के रूप में तीन वर्षो तक 50:30:20 के अनुपात में वितरित की जावेगी। अर्थात् अनुदान राशि रू. 120 प्रति पौधा का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा–

   I. **प्रथम वर्षः–** (रू. 60 प्रति पौधा) – प्रथम किश्त रू. 36 प्रति पौधा रोपित पौधों के सत्यापन के आधार पर (रोपण उपरांत प्रदाय की जावेगी)

   द्वितीय किश्त – रू. 24 प्रति पौधा रोपण के 4 माह बाद (जीवित पौधों के सत्यापन के आधार पर)

   II. **द्वितीय वर्षः–** रू. 36 प्रति पौधा की दर से माह नवम्बर–दिसम्बर में कम से कम 80% जीवितता पर (मृत पौधा बदलाव सहित) अनुदान का वितरण किया जावे।

   III. **तृतीय वर्षः–** रू. 24 प्रति पौधा की दर से माह नवम्बर–दिसम्बर में 100% पौधों की जीवितता के आधार पर (मृत पौधा बदलाव सहित) अनुदान का वितरण किया जावेगा।

2. कृषकों को रोपण हेतु मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा एक्रीडिटेड बांस रोपणियों अथवा सूचीबद्ध की गई टिशु कल्चर प्रयोगशालाओं से स्वयं पौधा क्रय करना होगा। रोपणियों एवं प्रयोगशालाओं की सूची राष्ट्रीय बांस मिशन एवं राज्य बांस मिशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित है। विधिवत् सत्यापन उपरांत उपरोक्तानुसार अनुदान की समस्त राशि हितग्राही कृषकों को ही सीधे प्रदाय की जावेगी। पौधा क्रय एवं पौधा

परिवहन हेतु पृथक से कोई राशि देय नही होगी। पौधे की क्रय दर पौधा विक्रेता द्वारा तय की जायेगी। पौधा क्रय का भुगतान कृषक द्वारा सीधे रोपणी/प्रयोगशालाओं को किया जावेगा।

3. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के रोपण सीजन में क्षेत्रीय वन अधिकारियों के द्वारा कृषकों को मृत पौधा बदलाव के संबंध में समूचित रूप से अवगत् एवं प्रोत्साहित किया जावेगा।

4. वर्ष 2021–22 हेतु क्लस्टरवार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। अतः समय पर उनसे सम्पर्क कर रोपण तैयारी पूर्ण कर ली जावे। क्लस्टरवार लक्ष्य की जानकारी संलग्न है।

5. कृषक द्वारा सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में वनमंडलाधिकारी कार्यालय को आवेदन करना होगा। वनमंडलाधिकारी राज्य बांस मिशन द्वारा आवंटित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की सीमा में कृषकों का चयन करेंगे।

6. चयनित हितग्राही को रोपण कार्य का सत्यापन करने के उपरांत वन परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा राज्य बांस मिशन की वेब एप्लीकेशन ebamboobazar.org में Bamboo Grower के रूप में पंजीयन कर पंजीयन क्रमांक प्रदाय किया जावेगा। पंजीयन उपरांत वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा वेब एप्लीकेशन (ebamboobazar.org) पर जाकर डिपार्टमेंट लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड से वेरिफिकेशन किया जावेगा।

7. कृषकों को बांस रोपण हेतु अंतराल एवं वांछित बांस प्रजाति का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। इस हेतु उन्हें सलाह दी जावे कि वह अपने क्षेत्र के अनुभवी बांस कृषकों से सम्पर्क कर उनके अनुभवों का लाभ उठावें।

8. कृषि क्षेत्र में बांस रोपण योजना को "लोक सेवा गारंटी" के तहत लिया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः अनुदान वितरण समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित किया जावेगा। कृषक द्वारा योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के 15 दिवस के भीतर वनमंडलाधिकारी द्वारा रोपित पौधों का सत्यापन सुनिश्चित किया जावेगा तथा हितग्राही कृषक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से **एक माह** के भीतर वनमंडलाधिकारी पात्रतानुसार परीक्षण उपरांत अनुदान वितरण सुनिश्चित करेंगे।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में पौधो का सत्यापन माह अक्टूबर में सुनिश्चित किया जावेगा तथा पात्रतानुसार अनुदान का वितरण 31 दिसम्बर के पूर्व पूर्ण कर लिया जावेगा। यदि हितग्राही को लाभ प्रदान करने में किसी भी स्तर पर उपरोक्त समय–सीमा में अनावश्यक विलंब किया जाता है तो नियंत्रणकर्ता कार्यालय द्वारा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

31/03/21

(डॉ. अभय कुमार पाटील)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य बांस मिशन

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

वनमण्डल .... (म.प्र.)

विषयः– बांस रोपण हेतु आवेदन।

––00––

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, बांस की खेती करना चाहता हूँ। मेरे संबंध में जानकारी निम्नानुसार है –

1. कृषक का नाम – ....
2. पिता/पति का नाम – ....
   मोबाईल नं., यदि हो तो – ....
3. ईमेल, यदि हो तो – ....
4. पूरा पता – ....
   ....
   ....
5. ग्रामीण/शहरी – ....
6. जिला – ....
7. तहसील – ....
8. विकासखण्ड – ....
9. पंचायत – ....
10. ग्राम – ....
11. वनवृत्त – ....
12. वनमंडल – ....
13. वनरेंज – ....
14. पटवारी हल्का नम्बर – ....
15. परिचय पत्र (आधार कार्ड नम्बर) – ....
16. खसरा क्रमांक – ....
17. बैंक खाते का विवरण – ....
    बचत खाता क्रमांक – ....
    बैंक का नाम – ....
    आई.एफ.एस.सी. कोड – ....
18. रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या (लक्ष्य) – ....

कृपया मेरा Bamboo Grower के रूप में पंजीयन करवा कर पौध रोपण की अनुमति प्रदान करें। मैं मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा मान्य नर्सरी/ प्रयोगशाला से पौधे क्रय कर ही पौध रोपण करूंगा। पौध रोपण के बाद कृपया नियमानुसार सब्सिडी राशि प्रदान करे।

हस्ताक्षर – ....

नाम – ....